अति तत्काल
तिथि बद्व

विषयः—अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान के पूरा पत्ता भेजने बारे ।

क्या मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य सचिव/प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/उप प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/विशेष कार्यकारी मुख्य मंत्री/सलाहकार मुख्य मंत्री/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/सयुंक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक एंव हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित शाखाओं में पदस्थ अधीक्षक/उप अधीक्षक/इन्चार्ज उपरोक्त विषय कि ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगें ?

2. प्रशासकीय अधिकारी शाखा द्वारा समय—समय पर हिदायतें जारी की जाती रही हैं कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का वर्तमान सही पता स्थानीय सहायक (Resident Assistant) के पास भेजा जाये। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि प्रायः जब अधिकारी/कर्मचारी अपना निवास स्थान बदल लेते हैं तो इसकी सूचना स्थानीय सहायक को नहीं भेजी जाती, जिस कारण से अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का सही/पूरा पता उपलब्ध न होने के कारण अति तत्काल प्रवृति के सरकारी कार्य हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को बजट सत्र/चुनाव के दौरान व अन्य परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण प्रेषित करने में अथवा कार्यालय बुलाने में काफी कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का वर्तमान पता (दूरभाष न0 सहित) दोहरी प्रति में प्रशासकीय अधिकारी शाखा, कमरा न0 39, पांचवी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक सूची अपने कार्यालय में भी डिस्पले करवायें। भविष्य में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना शीघ्र स्थानीय सहायक के पास भिजवाना भी सुनिश्चित करें। यदि शाखा/कार्यालय इंचार्ज अपने तथा सम्बन्धित स्टाफ के निवास स्थान का वर्तमान सही पता प्रशासकीय अधिकारी शाखा (स्थानीय सहायक) के पास नही भेजा गया तो भविष्य में पत्राचार या सरकारी कार्य हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होगें अर्थात पत्राचार/अन्य सरकारी कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी शाखा की कोई भी जिम्मेवारी नही होगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

प्रशासकीय अधिकारी,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य सचिव/प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/उप प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/विशेष कार्यकारी मुख्य मंत्री/सलाहकार मुख्य मंत्री/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/सयुंक्त सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक एंव हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित शाखाओं में पदस्थ अधीक्षक/उप अधीक्षक/इन्चार्ज।

अशाः कमांकः 25/1/90—ए.डी.ओ.(आर.ए.) दिनांक, चण्डीगढः 07 जनवरी 2021.

पृ0 कमांकः 25/1/90—ए.डी.ओ.(आर.ए.) दिनांक, चण्डीगढः 07 जनवरी 2021.

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः—

1. रजिस्टार/लोकायुक्त हरियाणा।
2. सचिव/कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, पंचकूला।
3. सचिव/मुख्य सूचना आयोग, हरियाणा।
4. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा पंचकूला।

प्रशासकीय अधिकारी,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।